न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0:–8 / 2025 तारीख रजू:–17.04.2025

जी.सी.एम.एस. नंबर:–2025 / 33

पीठासीन अधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. बाबूलाल पुत्र किशन उर्फ श्रीनिवास जाति राजपूत, निवासी पांवडेरा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. चौथमल पुत्र श्रीकिशन उर्फ श्रीनिवास
2. दामोदर पुत्र बाबूलाल
3. भरतलाल पुत्र बाबूलाल
4. भंवरलाल पुत्र बाबूलाल
5. सूरजमल पुत्र बाबूलाल
6. हनुमान पुत्र रामनिवास
7. बनवारी पुत्र कल्लू
8. मुकेश पुत्र कल्लू
9. रामावतार पुत्र कल्लू
10. सुमन पुत्र कल्लू
11. शान्ति देवी पत्नि स्व0 कल्लू
    समस्त जाति राजपूत निवासीयान पांवडेरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
13. उपपंजीयक चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–अप्रार्थीगण

उपस्थित::–

प्रार्थी वकील:–श्री लोकेश कुमार सीठा एवं श्री हेवराज गुर्जर, एडवोकेट

वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायल 5:– श्री अजय शेखर दवे, एडवोकेट

वकील अप्रार्थी संख्या 6:– श्री हंसराज यादव, एडवोकेट

वकील अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 11:– श्री हरिराम प्रजापत, एडवोकेट (अनुपस्थित)

निर्णय दिनांक:–28.10.2025

Signature Not Verified
Date: 2025.10.31 14:56:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि–

❖ प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सह खातेदारी कृषि भूमि ग्राम पाँवडेरा, पटवार हल्का पाँवडेरा, भू. अभि. नि. क्षेत्र पाँवडेरा, तहसील चौथ का बरवाडा, जिला सवाईमाधोपुर में स्थित है, जिसमें खाता संख्या नया 613 पुराना 581 में खसरा नं. 1118 रकबा 0.69 है0, खसरा नं. 691 रकबा 1.29 है0, खसरा नं. 694 रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 695 / 2352 रकबा 0.04 है0 इस प्रकार कुल खसरा 04 कुल रकबा 2.07

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 614 पुराना 582 में खसरा नं. 1327 रकबा 2. 80 है०, खसरा नं. 1329 रकबा 0.30 है०, खसरा नं. 1334 रकबा 2.43 है। इस प्रकार कुल खसरा 03 कुल रकबा 5.53 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जो कि जमाबंदी में दर्ज है जिसके अनुसार प्रार्थी मालिक स्वामी काबिज है।

❖ उपरोक्त वर्णित खसरान भूमि में कृषि भूमि उपरोक्तानुसार प्रार्थी की भूमि है जिसमें प्रार्थी का स्वत्व एवं हिस्सा है। प्रार्थी अपने हिस्से में आयी भूमि का तकासमा करवाने के हकदार है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि पर काबिज है जिसमें प्रार्थी काबिज होकर अपने हिस्से की कृषि भूमि पर उपयोग उपभोग कर रहे है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से की कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर कब्जा करना चाहते है इस कारण मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विधिपूर्ण तकासमा होना लाजमी है। साथ ही अप्रार्थीगण उपरोक्त कृषि भूमि के अच्छे से अच्छे हिस्से में बिना तकासमा हुए भवन निर्माण करने पर आमादा हो रहे है तथा उक्त अप्रार्थीगण बिना उक्त कृषि भूमि का विधिक तकासमा हुए उपरोक्त खसरान भूमि के अपने हिस्से को किसी दिगर व्यक्तियान को विक्रय करने पर आमादा हो रहे है एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न कर रहे है। लिहाजा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना भी लाजमी है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

❖ अप्रार्थीगण बिना विधिक तकासमा हुए दिगर व्यक्तियों को उपरोक्त खसरा भूमि को विक्रय करने पर आमादा हो रहे है तथा अलग–अलग व्यक्तियों को कृषि भूमि पर लाकर जमीन दिखा रहे है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं फरमाया गया तो पक्षकारों के मध्य अनावश्यक लड़ाई झगड़े व मुकदमेबाजी बढ़ेगी। इसलिए यह प्रार्थना–पत्र पेश करना लाजिम हुआ है।

❖ अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त की उक्त कृषि भूमि से कर कब्जे काश्त में मजाहमत करने पर उतारू होने, उपरोक्त कृषि भूमि में बिना तकासमा हुए भवन निर्माण करने पर आमादा होने तथा अप्रार्थीगण द्वारा दिगर व्यक्तियों को कृषि भूमि पर लाकर जमीन दिखाकर बिना विभाजन करवाये कृषि भूमि को बेचान करने पर आमादा होने से प्रारम्भ होकर निरन्तर जारी है। यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं फरमाया गया तो प्रार्थी को अपूर्तिनीय क्षति कारित होगी जिसकी भरपाई किसी भी रूप में संभव नहीं है।

❖ प्रार्थी अपने हिस्से के अनुसार उक्त कृषि भूमि पर काबिज है एवं रिकॉर्डेड खातेदार है, इसलिए प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

❖ अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से प[illegible]ने की कृपा करें कि अप्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र के मद सं. 03 में वर्णित [illegible] भूमि [illegible] के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी [illegible] करें, इस पर निर्माण कार्य नहीं करे, ना अपने एजेन्ट सर्वेन्ट आदि से करवायें। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि का अन्य किसी दिगर व्यक्तियान को विक्रय / [illegible]ान्तरण नही करें एवं अप्रार्थी संख्या 12 एवं 13 उक्त खसरा नम्बरान की भूमि का किसी दिगर व्यक्ति के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन ना करें एवं उक्त खसरा नम्बरान की भूमि के विक्रय पत्र का पंजीयन किसी दिगर व्यक्ति के नाम से नही करें एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.10.31 14:56:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

अप्रार्थीगण ताफैसला वाद उक्त कृषि भूमि की मौके एवं रिकॉर्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी किये जाकर उनकी न्यायालय में तलवी की गई।

3. वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने अपना जवाब पेश किया है कि–

❖ प्रार्थना–पत्र का मद संख्या–2 मे आराजीयात का अंकित होना स्वीकार है लेकिन जमाबंदी के अनुसार प्रार्थी का उक्त समस्त आराजीयात का मालिक व स्वामी एवं काबिज होना स्वीकार नही है। इसके विपरीत सही तथ्य यह है कि वादी प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 मे अंकित आराजीयात का 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार व काबिज है। इसके अलावा मिन अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 उक्त आराजीयात के 1/24 हिस्से के खातेदार, काश्तकार एवं काबिज है तथा अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 11 प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 1 में अंकित आराजीयात के 1/30 हिस्से के खातेदार एवं काश्तकार है तथा अप्रार्थी नम्बर 6 हनुमान हिस्सा 1/3 का खातेदार, काश्तकार एवं काबिज है। उक्त समस्त आराजीयात समस्त अप्रार्थीगण 1 लगायत 11 एवं प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी एवं संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात है। उक्त समस्त आराजीयात पर प्रत्येक प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 11 का प्रत्येक इंच भूमि पर बराबर–बराबर का कब्जा है, क्योकि मिन अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी तथा अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 11 के मध्य उक्त आराजीयात का तकासमा विधिवत नही हुआ है इसलिये समस्त प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण समस्त आराजीयात के खातेदार एवं संयुक्त काश्तकार एवं काबिज है। इसलिये किसी भी ख़ातेदार कों बिना तकासमा कराये हुये उक्त आराजीयात को रहन बय करने एवं किसी भी प्रकार से मुन्तकिल करने का अधिकार नही है।

❖ प्रार्थना–पत्र का मद नम्बर 3 स्वीकार नही है। उक्त समस्त आराजीयात प्रार्थी के स्वामित्व एवं हिस्से की भूमि नही है बल्कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या एक लगायत 11 की संयुक्त खातेदारी काश्त एवं कब्जे की भूमि है। जिस पर मिन अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति कों बिना विधि पूर्वक तकासमा किये हुये विक्रय करने के अधिकारी प्रार्थना–पत्र का मद नम्बर 5 स्वीकार नहीं है। मिन अप्रार्थीगण बिना तकासमा किये हुये उक्त आराजीयात से किसी भी खातेदार काश्तकार एवं क़ाबिज को बेदखल करने पर आमादा नही है और ना ही बिना तकासमा किये हुये उक्त आराजीयात को किसी अन्य व्यक्ति को बेचने पर आमादा है। इसके विपरीत सही तथ्य यह है कि अप्रार्थी नम्बर 6 उक्त आराजीयात की अपनी भूमि जिसका की अप्रार्थी नम्बर 6 का 1/2 हिस्सा है उसको बिना तकासमा किये हुये विक्रय करने पर आमादा है। जिसकी जानकारी मिन अप्रार्थीगण कों दिनांक–12.05.2025 को हुयी जब मिन अप्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना[illegible]नोटिस प्राप्त हुआ।

❖ प्रार्थी का कोई प्राइमाफेसी केस नहीं है तथा सुविधा का स[illegible]क्ष में है, इसके विपरीत मिन विपक्षीगण का एक प्राईमाफेसी केस है तथा [illegible] सुविधा का संतुलन मिन विपक्षीगण के पक्ष मे है यदि प्रार्थी या अन्य विपक्षीगण 6 लगायत 11 विवादित आराजीयात को बिना तकासमा किये हुये विक्रय करने मे या खुर्द बुर्द करने में सफल हो जावेगें तो मिन विपक्षीगण कों भारी अपूर्णनीय क्षति होगी जिनका मूल्यांकन रूपयो में नहीं किया जा सकता और मिन विपक्षीगण को अन्य मुकदमेंबाजीयो मे फॅसकर काफी परेशानीयो का सामना करना पडेगा इसलिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.10.31 14:56:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

मिन विपक्षीगण का एक प्रबल प्राईमा फैसी केस, सुख सुविधा कां संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति तीनो ही बिन्दू मिन विपक्षीगण के पक्ष मे है।

❖ मिन अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी तथा अप्रार्थी नम्बर 6 लगायत 11 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या नया 613 पुराना 581 मे खसरा नम्बर–1118 रकबा 0.69 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 691 रकबा 1.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 694 रकबा 0.05 हैक्टेयर खसरा नम्बर 695/2352 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल रकबा 2.07 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 614 पुराना 582 मे खसरा नम्बर 1327 रकबा 2.80 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1329 रकबा 0.30 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1334 रकबा 2.43 हैक्टेयर इस प्रकार कुल खसरा–3 कुल रकबा 5.53 हेक्टेयर भूमि वाके ग्राम पॉवडेरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में स्थित है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/6 तथा अप्रार्थी नम्बर 1 चौथमल का हिस्सा 1/6 तथा अप्रार्थीगण नम्बर 2 लगायत 5 का हिस्सा 1/24 तथा अप्रार्थी नम्बर–6 हनुमान का हिस्सा 1/2 तथा अप्रार्थी नम्बर 7 लगायत 11 का हिस्सा 1/30 है। जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त रूप सें संयुक्त खातेदार एवं संयुक्त काश्तकार एवं काबिज है तथा उक्त आराजीयात का वादी एवं मिन अप्रार्थीगण तथा अन्य अप्रार्थीगण के मध्य कोई तकासमा नही हुआ है। जब तक उक्त आराजीयात का विधिवत तकासमा होकर मिन अप्रार्थीगण प्रार्थी एवं अन्य अप्रार्थीगण का खाता अलग– अलग नही हो जाता तब तक किसी भी खातेदार कों संयुक्त खातेदारी की भूमि को बेचने का कानूनी अधिकार नही है, क्योकि उक्त संयुक्त खातेदारी की प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक खातेदार का संयुक्त रूप से एवं पृथक पृथक रूप से बतौर काश्तकार एवं खातेदार काबिज है।

❖ मिन अप्रार्थीगण को जब उक्त प्रार्थना–पत्र का नोटिस प्राप्त हुआ तब मिन अप्रार्थीगण को यह पता चला कि अप्रार्थी नम्बर 6 अपने 1/2 हिस्से की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति कों बेचने पर आमादा है। जब इस बात का पता चला तो मिन अप्रार्थीगण नें अप्रार्थी नम्बर–6 को कहाँ कि आप बिना उक्त आराजीयात का तकासमा कराये हुये किसी भी व्यक्ति को रहन बय नही कर सकते तों अप्रार्थी नम्बर–6 मिन अप्रार्थीगण से आमादा फसाद हो गया इस कारण मिन अप्रार्थीगण को प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण नम्बर 6 लगायत 11 के विरूद्ध यह काउन्टर प्रार्थना–पत्र पेश करना लाजिम आया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

❖ मिन अप्रार्थीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय की शरण लेकर विशेष विवरण के मद नम्बर 2 के अंकित आराजीयात कों अपने–अपने हिस्से के अनुसार उक्त आराजीयात का तकासमा करवाकर अपने–अपने नाम अलग–अलग खाता खुलवाकर अलग अलग तरीके से काबिज हो जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अलग अलग अमल करावें प्रार्थी एवं अप्रार्थी नम्बर 6 लगायत 11 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे कि वह विशेष विवरण के मद नम्बर–2 मे अंकित आराजीयात को किसी भी व्यक्ति कों बिना तकासमा कराये हुये रहन बय नही करे तथा अपने अपने हिस्से अनुसार किसी भी खातेदार के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मज[illegible] मदाखलत ना तो स्वयं पैदा करे और ना ही किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करावें तथा अप्रार्थी[illegible] 12 व 13 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे कि वह काउन्[illegible]र्थना–[illegible] के मद संख्या 2 मे अंकित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड मे तब्दीली [illegible] उक्त आराजीयात को किसी भी व्यक्ति के ना[illegible] बय [illegible] करे तथा काउन्टर क्लेम पेश करने की स्थिति कों ता–फैसला काउन्टर क्लेम यथावत बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.10.31 14:56:03 IST
Reason: SelfAttested

❖ यह कि मिन विपक्षीगण प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 2 में अंकित आराजीयात को सह खातेदार काश्तकार एवं काबिज है। इसलिये मिन विपक्षीगण यह एक प्रबल प्राईमा फेसी केस है तथा सुख सुविधा का संतुलन भी मिन विपक्षीगण के पक्ष मे है तथा विपक्षीगण 6 लगायत 11 एवं प्रार्थी उक्त आराजीयात कों विक्रय करने में

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

या रहन, बय करने मे सफल हो जाते है तो उस स्थिति में मिन विपक्षीगण कों भारी अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका अंकन रूपयो मे नही किया जा सकता। इसलियें तीनो ही बिन्दू मिन विपक्षीगण के पक्ष मे है।

❖ अतः काउन्टर प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि काउन्टर प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी बाबूलाल एवं विपक्षीगण 6 लगायत 11 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह काउन्टर क्लेम के निस्तारण तक काउन्टर प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 2 मे अंकित आराजीयात मे मिन विपक्षीगण कें कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत, मदाखलत ना तो स्वयं करें तथा ना ही अपने अन्य व्यक्ति से ऐसा करावें और ना ही दौराने काउन्टर क्लेम उक्त आराजीयात को रहन बय नही करें तथा मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे एवं विपक्षीगण संख्या 11 व 12 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह काउन्टर क्लेम के निस्तारण तक उक्त आराजीयात प्रार्थना–पत्र काउन्टर क्लेम के मद नम्बर 2 मे अंकित को किसी भी व्यक्ति के नाम रहन बय, मुन्तकिल नही करे तथा ना ही कागजात सरकार में किसी अन्य व्यक्ति के नाम अमल दरामद करे तथा दिनांक 22. 05.2025 पेश करने काउन्टर क्लेम की स्थिति को यथावत बनाये रखे।

4. वकील अप्रार्थी संख्या 6 ने अपना जवाब पेश किया है कि–

❖ प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 एवं अप्रार्थी संख्या 06 लगायत 11 आपस में सगे भाई बहिन एवं चाचा भतीजा, भतीजी व भोजाई होकर श्रीनिवास राजपूत के वारिसान है एवं वाद ग्रस्त कृषि भूमि में हिस्सा 1/2, भाग भूमि के रिकार्डेड खातेदार है इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 06 उक्त भूमि पर हिस्सा 1/2 भाग का रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 एवं अप्रार्थी संख्या 07 लगायत 11 के बुजुर्गान श्रीनिवास एवं अप्रार्थी संख्या 05 ने स्वयं की कृषि भूमि को करीबन 40–50 वर्ष पूर्व बराबर बराबर बंटवारा कर रखा है जिसमें नवीन खसरा नम्बर 1327 रकबा 2.80है० भूमि एवं खसरा नम्बर 1118 रकबा 0.69है० भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा तथा खसरा नम्बर 691 रकबा 1.2980 मे से 0.29है० भूमि पर उत्तर दिशा की तरफ का प्रार्थी संख्या 06 पर बंटवारे के अनुसार कब्जा दिया एवं नवीन खसरा नम्बर 1329 रकबा 0.30 है० खसरा नम्बर 1334 रकबा 2.43है० भूमि एवं खसरा नम्बर 691 रकबा 1.29 है० पर 1.00है० एवं खसरा नम्बर 694 रकबा 0.05 है० खसरा नम्बर 695/2352 रकबा 0.04है० भूमि पर श्रीनिवास राजपूत का बंटवारे के आधार पर कब्जा दिया वर्तमान में खसरा नम्बर 1329 रकबा 0.30है० पर सिचाई विभाग द्वारा नहर निकाल दी गई एवं उसकी किस्म गै. मु. नहर दर्ज कर दी एवं मौके पर अपने अपने हिस्से पर तारबन्दी हो रही है। परन्तु प्रार्थी के मन में बदयान्ति आ गई एवं अप्रार्थी संख्या 06 के बंटवारे में आई भूमि जिस पर प्रार्थी ने मेहनत करके व रुपया पेसा खर्च कर विकसित की गई भूमि को स्वंय के हिस्से में लेना चाहता है। जबकि वर्षो पूर्व ही बुजुर्गान के समय में बंटवारा किया हुआ है। इस कारण झुठे व काल्पनिक तथ्यों पर केवल अप्रार्थी संख्या 06 को हैरान परेशान करने के आशय से यह वाद पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

❖ स्वयं प्रार्थी ने बिना विधिवत तकासमा कराये सहखातेदार [illegible] भूमि को [illegible] शाखा चौथ का बरवाडा के रहन किया है यदि [illegible] बुजुर्गो [illegible] से नही होता तो प्रार्थी किस आधार पर बैंक के [illegible] है।

❖ प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 06 एवं अन्य अप्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि [illegible] पर बजमाने बुजुर्गान के समय से ही मौके पर कृषि भूमि का बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर मुताबिक बंटवारे के काबिज होकर काश्त कर रहे इस कारण प्रार्थी का प्रथम दृष्टया कोई मामला नही बनता न ही अप्रार्थी संख्या 06 की भूमि जिस पर अप्रार्थी से 1/2 हिस्से पर काबिज है के आधार से किसी प्रकार की क्षति हो रही है इस

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.10.31 14:56:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

कारण उक्त तीनो ही बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में न होकर प्रार्थी की कोई मदद नही करते ।

- ❖ प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थी के मन में बदयान्ति आ गई एवं बजमाने बुजुर्गान उक्त भूमि के बंटवारे से मुकर रहा है। अप्रार्थी संख्या 06 जो कि वृद्ध एवं विकलांग व्यक्ति है कि भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करता है, जबकि प्रार्थी की भूमि का पहले से ही बंटवारा हो चुका है। इस कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने कसे विशेष विवरण हर्जे खर्चे सहित खारिज किये जाने योग्य है।

- ❖ राजस्व ग्राम पांवडेरा पटवार हल्का पांवडेरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में स्थित भूमि जिसमें नवीन खसरा नम्बर 1327 रकबा 2.80 है०, खसरा नम्बर 1118 रकबा 0.69 है०, खसरा नम्बर 691 रकबा 1.2980, खसरा नम्बर 1329 रकबा 0.30है० खसरा नम्बर 1334 रकबा 2.43है०, खसरा नम्बर 691 रकबा 1.29है0 पर 1.00है० एवं खसरा नम्बर 694 रकबा 0.0580 खसरा नम्बर 695/2352 रकबा 0.04है० भूमि वादी तथा प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि थी जिसका करीबन 40–50 वर्ष पूर्व बराबर–बराबर बंटवारा कर रखा है जिसमें नवीन खसरा नम्बर 1327 रकबा 2.80है० भूमि एवं खसरा नम्बर 1118 रकबा 0.69है० भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा तथा खसरा नम्बर 691 रकबा 1.29है0 में से 0.29है० भूमि पर उत्तर दिशा की तरफ का प्रार्थी संख्या 06 पर बंटवारे के अनुसार कब्जा दिया एवं नवीन खसरा नम्बर 1329 रकबा 0.30है० खसरा नम्बर 1334 रकबा 2.43है० भूमि एवं खसरा नम्बर 691 रकबा 1.29है0 पर 1.00है० एवं खसरा नम्बर 694 रकबा 0.05है० खसरा नम्बर 695/2352 रकबा 0.04है० भूमि पर श्रीनिवास राजपूत का बंटवारे के आधार पर कब्जा दिया वर्तमान में खसरा नम्बर 1329 रकबा 0.30है० पर सिचाई विभाग द्वारा नहर निकाल दी गई एव उसकी किस्म गै. मु.नहर दर्ज कर दी एवं मौके पर अपने अपने हिस्से पर तारबन्दी हो रही है। परन्तु प्रार्थी के मन में बदयान्ति आ गई एवं अप्रार्थी संख्या 06 के बंटवारे में आई भूमि जिस पर प्रार्थी ने मेहनत करके व रुपया पेसा खर्च कर विकसित की गई भूमि को स्वंय के हिस्से में लेना चाहता है। जबकि वर्षो पूर्व ही बुजुर्गान के समय में बंटवारा किया हुआ है।

5. वकील अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 11 ने अपना जवाब पेश किया है कि–

- ❖ प्रार्थना पत्र का मद संख्या 03 जिस प्रकार तहरीर किया है अस्वीकार है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 एवं अप्रार्थी संख्या 06 लगायत 11 आपस में सगे भाई बहिन एवं चाचा भतीजा, भतीजी व भोजाई होकर श्रीनिवास राजपूत के वारिसान है एवं वाद ग्रस्त कृषि भूमि खाता संख्या 614 में हम 5/30 यानि 1/6 भाग के रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 एवं अप्रार्थी संख्या 07 लगायत 11 के बुजुर्गान श्रीनिवास एवं अप्रार्थी संख्या 05 ने स्वयं की कृषि भूमि को करीबन 40–50 वर्ष पूर्व बराबर– बराबर बंटवारा कर रखा है जिसमें नवीन खसरा नम्बर 1327 रकबा 2.80है0 भूमि एवं नवीन खसरा नम्बर 1329 रकबा 0.30है० खसरा नम्बर 1334 रकबा 2.43है० [illegible] भूमि यानि पर श्रीनिवास राजपूत का बंटवारे के आधार पर [illegible] वर्तमान में खसरा नम्बर 1329 रकबा 0.30 है० पर [illegible] दी गई एवं उसकी किस्म गै.मु. नहर दर्ज कर [illegible] पर तारबन्दी हो रही है। परन्तु प्रार्थी के [illegible] अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 11 के बंटवारे में आई भूमि जिस पर प्रार्थी ने [illegible] करके व रुपया पेसा खर्च कर विकसित की गई भूमि को स्वंय के हिस्से म[illegible] लेना चाहता है। जबकि वर्षो पूर्व ही बुजुर्गान के समय में बंटवारा किया हुआ है। इस कारण झुठे व काल्पनिक तथ्यों पर केवल अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के आशय से यह वाद पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.10.31 14:56:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाडा

- ❖ वाद पत्र का मद संख्या 04 जिस प्रकार तहरीर किया है अस्वीकार है। स्वयं प्रार्थी ने बिना विधिवत तकासमा कराये सहखातेदारी की भूमि को PNB शाखा चौथ का बरवाडा के रहन किया है यदि बंटवारा बुजुर्गो के समय से नही होता तो प्रार्थी किस आधार पर बैंक के पक्ष में भूमि को रहन रखता है।

- ❖ प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 07 से 11 अप्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि पर बजमाने बुजुर्गान के समय से ही मौके पर कृषि भूमि का बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर मुताबिक बंटवारे के काबिज होकर काश्त कर रहे इस कारण प्रार्थी का प्रथम दृष्टया कोई मामला नही बनता न ही अप्रार्थी संख्या 07 से 11 की भूमि जिस पर अप्रार्थी से 1/6 हिस्से पर काबिज है के आधार से किसी प्रकार की क्षति हो रही है इस कारण उक्त तीनो ही बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में न होकर प्रार्थी की कोई मदद नही करते ।

- ❖ प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थी के मन में बदयान्ति आ गई एवं बजमाने बुजुर्गान उक्त भूमि के बंटवारे से मुकर रहा है। एंव अप्रार्थी संख्या 07 लगायत 11 कि भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करता है जबकि प्रार्थी की भूमि का पहले से ही बंटवारा हो चुका है इस कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने कसे विशेष विवरण हर्जे खर्चे सहित खारिज किये जाने योग्य है।

- ❖ राजस्व ग्राम पांवडेरा पटवार हल्का पांवडेरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में स्थित भूमि जिसमें नवीन नवीन खसरा नम्बर 1327 रकबा 2.80 है0 भूमि एवं नवीन खसरा नम्बर 1329 रकबा 0.30है० खसरा नम्बर 1334 रकबा 2.43है0 कुल किता 03 कुल रकबा 5.53है0 भूमि वादी तथा प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि थी जिसका करीबन 40–50 वर्ष पूर्व बराबर–बराबर बंटवारा कर रखा है जिसमें उक्त भूमि पर श्रीनिवास राजपूत का बंटवारे के आधार पर कब्जा दिया वर्तमान में खसरा नम्बर 1329 रकबा 0.30है0 पर सिचाई विभाग द्वारा नहर निकाल दी गई एवं उसकी किस्म गै.मु. नहर दर्ज कर दी एवं मौके पर अपने अपने हिस्से पर तारबन्दी हो रही है। परन्तु प्रार्थी के मन में बदयान्ति आ गई एवं अप्रार्थी संख्या 06 के बंटवारे में आई भूमि जिस पर प्रार्थी ने मेहनत करके व रुपया पेसा खर्च कर विकसित की गई भूमि को स्वंय के हिस्से में लेना चाहता है। जबकि वर्षों पूर्व ही बुजुर्गान के समय में बंटवारा किया हुआ है।

- ❖ वर्षो पूर्व किये गये बंटवारे के आधार पर एवं कब्जे के आधार पर बंटवारा कर दिया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है।

- ❖ अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से विशेष हर्जे खर्चे सहित खारिज किये जाने योग्य है।

6. वकील प्रार्थी ने अपना जवाबुल जवाब पेश किया है कि–

   - ➢ प्रार्थना पत्र का मद संख्या 1, 2, 3, 4 व 6 स्वीकार है। मद संख्या 5 के संबंध में निवेदन है कि विपक्षी संख्या 6 का 1/2 हिस्सा है, उसके विपक्षी संख्या 6 बिना तकासमा हुए अपने हिस्से की भूमि का कब्जा का अधिकारी नहीं

7. मैंने वकील वादी, वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 व वकील अप्रार्थी संख्या 6 की बहस सुनी। वकील प्रार्थी एव वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 व वकील अप्रार्थी संख्या 6 ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का दोहरान किया। मैंने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 व वकील अप्रार्थी संख्या 6 की बहस पर मनन किया।

8. <u>प्राईमाफेसी केसः–</u> वकील अप्रार्थी संख्या 6 ने दौराने बहस अवगत कराया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 एवं अप्रार्थी संख्या 07 लगायत 11 के बुजुर्गान श्रीनिवास एवं अप्रार्थी संख्या 05 ने स्वयं की कृषि भूमि को करीबन 40–50 वर्ष पूर्व बराबर बराबर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.10.31 14:56:03 IST
Reason: SelfAttested

बंटवारा कर रखा है जिसमें नवीन खसरा नम्बर 1327 रकबा 2.80है० भूमि एवं खसरा नम्बर 1118 रकबा 0.69है० भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा तथा खसरा नम्बर 691 रकबा 1.2980 मे से 0.29है० भूमि पर उत्तर दिशा की तरफ का प्रार्थी संख्या 06 पर बंटवारे के अनुसार कब्जा दिया एवं नवीन खसरा नम्बर 1329 रकबा 0.30 है० खसरा नम्बर 1334 रकबा 2.43है० भूमि एवं खसरा नम्बर 691 रकबा 1.29 है० पर 1.00है० एवं खसरा नम्बर 694 रकबा 0.05 है० खसरा नम्बर 695/2352 रकबा 0.04है० भूमि पर श्रीनिवास राजपूत का बंटवारे के आधार पर कब्जा दिया वर्तमान में खसरा नम्बर 1329 रकबा 0.30है० पर सिचाई विभाग द्वारा नहर निकाल दी गई एवं उसकी किस्म गै. मु. नहर दर्ज कर दी एवं मौके पर अपने अपने हिस्से पर तारबन्दी हो रही है। उभयपक्षों के बीच उक्त बाहमी बंटवारे के होने या न होने के संबंध में विचारण मूल दावे में साक्ष्य/सुनवाई के पश्चात् ही किया जा सकेगा। ग्राम पांवडेरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा की स्थायी जमाबंदी दिनांक 05.04.2025 के खसरा नंबर 1118, 691, 694 एवं खसरा नंबर 695/2352 कुल किता 04 कुल रकबा 2.07 है0 एवं खसरा नंबर 1327, 1329 एवं खसरा नंबर 1334 कुल किता 03 कुल रकबा 5.53 है0 के प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड सहखातेदार हैं। किसी भी सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर बराबर का हक होता है, जिस कारण सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया उचित नहीं है। इस प्रकार प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

9. <u>सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षतिः</u>—प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होने के कारण सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं पर विचारण की आवश्यकता नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगणों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है।

<u>—:आदेशः—</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.10.31 14:56:03 IST
Reason: SelfAttested